डीजी परिपत्र संख्या– 18 /2022

देवेन्द्र सिंह चौहान
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002
दिनांकः जुलाई 6 ,2022

विषयः पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों की विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत हैं कि बालकों के लैंगिक शोषण एवं लैंगिक दुरूपयोग जैसे घटित अपराध अत्यन्त गम्भीर एवं निन्दनीय होने के साथ ही समाज तथा न्याय व्यवस्था के लिए गम्भीर चिंतन का विषय भी हैं। इस प्रकार के घटित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। मुख्यालय स्तर से पॉक्सो एक्ट जैसे गम्भीर अपराधों की विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं, परन्तु अभी भी इस प्रकार की घटनाओं में शीघ्रता से विवेचनात्मक कार्यवाही न किये जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया/कराया जा रहा है।

डीजी परिपत्र संख्या–43/2021 दि0 01.12.2021
डीजी परिपत्र संख्या–39/2021 दि0 06.10.2021
डीजी परिपत्र संख्या–38/2021 दि0 01.10.2021
डीजी परिपत्र संख्या–36/2021 दि0 23.09.2021
डीजी परिपत्र संख्या–31/2021 दि0 28.08.2021
डीजी परिपत्र संख्या–19/2019 दि0 02.01.2019
डीजी परिपत्र संख्या–23/2019 दि0 19.06.2019
डीजी परिपत्र संख्या–35/2018 दि0 05.07.2018

2. आप सहमत होंगे कि इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने पर जहॉ पुलिस के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है वहीं आम जनमानस में भय का वातावरण भी उत्पन्न होता है, इसलिए विवेचना में वैज्ञानिक तथ्यपरक एवं युक्ति संगत साक्ष्यों का समावेश किये जाने से ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण सम्भव होगा।

3. अतएव यह आवश्यक है कि बालकों के साथ घटित अपराधों की गुणवत्तापरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के लिए आपके अनुपालन/मार्ग–दर्शन हेतु निम्नांकित बिन्दु निर्देशित किये जा रहे हैंः–

- इस प्रकार के अपराध घटित होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्र पंजीकृत कराकर समयबद्ध ढंग से अधिकतम 02 माह के भीतर विवेचना को पूर्ण कराकर आरोप–पत्र मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित कराते हुए अधिकाधिक वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित कराया जायेगा।
- प्रदर्शो को अधिकतम 02 दिवस के अन्दर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्राप्त कराया जायेगा तथा प्रदर्श प्राप्त कराये जाने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर आख्या प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विवेचना पूर्ण की जायेगी। विचारण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
- दंण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम–2018 के प्राविधानानुसार भा0द0वि0 की धारा 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी एवं 376ई के अपराधों की विवेचना, अभियोगों का विचारण निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत शीघ्रता से पूर्ण कराया जाये।

4. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विवेचना करते समय यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि कोई सारवान साक्ष्य छूटने न पाये। यदि आवश्यक हो तो वैज्ञानिक विधियों के विशेषज्ञों की राय ली जाये तथा विवेचना में ऐसे तथ्यों का समावेश करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जाये, जिससे अपराधियों को मा0 न्यायालय से दण्डित कराया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
06/07/2022

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट–लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।